भारत सरकार	**लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 1731**
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात

1731. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान उक्त उत्पादों के निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कोई नई योजना आरंभ की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात के दौरान गुणवत्ता मानकों और संभार तंत्र संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) केंद्रीय बजट 2025-26 में उत्पादकता बढ़ाने,फसल विविधीकरण,फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और ऋण सहायता के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना जैसी पहलों के माध्यम से कृषि और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात के संवर्धन, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन; बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने; फलों और सब्जियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम; उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन; बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना; खराब होने वाले वस्तुओं के लिए हवाई कार्गो संबंधी अवसंरचना का उन्नयन और लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में वृद्धि ताकि उनकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुगम हो सके,का प्रावधान है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संबंधी आंकड़े **अनुलग्नक-1** में दिए गए हैं।

(ग) केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) का उद्देश्य कई योजनाओं को एक ही परिणाम-आधारित और अनुकूलनीय फ्रेमवर्क में समेकित करके विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), पहली बार निर्यात करने वालों निर्यातकों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार फ्लैगशिप योजनाओं नामतः फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) का क्रियान्वयन कर रही है, ताकि विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। एफएफएस का संचालन सिडबी द्वारा एसईबीआई-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंडों के माध्यम से किया जा रहा है, जो इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।

(घ) गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है और निर्यात उत्पादों के परीक्षण के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है। अंगूर और मूंगफली जैसे उत्पादों के लिए ट्रेसिबिलिटी सिस्टम लागू किए गए हैं। संभार तंत्र संबंधी पहलों में खराब होने वाली वस्तुओं के लिए हवाई कार्गो संबंधी अवसंरचना का उन्नयन, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर्स का विकास, तटीय एवं अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का संवर्धन और खराब होने वाले उत्पादों के लिए समुद्री प्रोटोकॉल का विकास करना शामिल है।

******

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1731 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

मात्रा मीट्रिक टन में; मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में

भारत का कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात						
उत्पाद का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
समुद्री उत्पाद	1754.20	8077.97	1819.66	7366.98	1720.97	7405.00
गैर-बासमती चावल	17786.56	6355.75	11116.71	4570.05	14128.96	6527.58
बासमती चावल	4560.76	4787.50	5242.51	5837.13	6065.46	5944.48
मसाले	1310.25	3787.08	1415.23	4245.99	1629.11	4451.54
भैंस का मांस	1175.53	3193.69	1295.60	3740.16	1254.92	4060.54
चीनी	11754.69	5770.64	4360.62	2822.25	3687.79	2159.40
कॉफी	316.09	1146.17	297.91	1285.54	302.80	1805.57
विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ	0.00	1418.67	0.00	1652.22	0.00	1680.10
असंसाधित तंबाकू	256.19	822.23	278.45	1051.30	323.14	1478.22
ऑयल मील्स	4183.27	1600.90	4272.89	1712.28	3839.14	1344.39
ताजे फल	1094.11	863.74	1438.73	1145.24	1591.85	1171.08
अरंडी का तेल	645.82	1265.64	692.96	1070.66	745.62	1152.37
प्रसंस्कृत फल और जूस	620.23	908.09	703.98	970.93	738.08	1028.93
अनाज संबंधी सामग्री	480.41	752.18	534.32	841.79	594.54	933.89
चाय	241.05	817.57	260.71	825.42	262.98	923.89
ताजी सब्जियां	3375.57	924.91	2686.18	890.57	2150.73	894.31
अपशिष्ट सहित अपरिष्कृत कपास	318.49	781.43	573.10	1115.49	458.16	809.72
मूंगफली	669.11	831.59	680.69	860.70	746.32	794.99
दालें	762.85	661.59	594.16	644.01	730.73	778.17
प्रसंस्कृत सब्जियां	366.56	508.97	445.52	652.42	550.42	776.83
डेयरी उत्पाद	156.37	588.93	173.75	468.39	217.02	720.67
आयुष और हर्बल उत्पाद	0.00	0.00	106.32	650.53	128.74	689.34
वनस्पति तेल	201.56	439.56	213.47	421.85	335.37	631.57
गुआरगम	406.53	617.14	417.69	541.65	453.65	568.97
उत्पादित तंबाकू	0.00	391.14	0.00	397.18	0.00	500.79
तिल	228.69	425.94	240.06	525.07	250.95	491.45
मादक पेय पदार्थ	235.56	324.88	267.92	388.93	221.80	353.17
काजू	59.58	356.29	65.80	338.88	65.23	338.21
कोको उत्पाद	34.25	154.54	36.24	183.54	45.49	295.79
अन्य अनाज	3625.74	1193.47	1596.68	517.65	704.11	270.88
मिल्ड उत्पाद	637.54	288.89	256.46	172.54	267.37	191.83
मुर्गी उत्पाद	0.00	134.04	0.00	184.58	0.00	168.77
फल/सब्जी के बीज	21.13	117.93	16.98	131.73	21.17	157.62
पुष्प उत्पादन	21.03	88.38	19.79	86.63	21.04	88.58
भेड़/बकरी का मांस	10.08	67.93	11.03	78.05	11.58	84.96
शेलैक	5.44	105.62	4.24	67.84	5.17	81.11
पशु कैसिंग	12.58	40.87	15.01	48.12	18.41	59.81
अन्य तिलहन	58.97	70.21	32.90	43.44	38.92	50.69
गुड़	1623.54	256.93	773.96	133.09	154.83	29.24
प्राकृतिक रबर	3700.00	6.40	4199.00	6.65	4839.00	8.84
काजू के छिलके का लिक्विड	17.25	14.02	13.22	9.31	8.50	7.20
नाइजर बीज	7.74	10.21	4.16	6.52	4.53	7.18
गेहूं	4693.29	1519.69	188.28	56.66	3.57	2.03
प्रसंस्कृत मांस	0.34	1.59	0.83	2.78	0.24	1.35
अन्य मांस	0.76	2.45	0.30	1.39	0.05	0.37

स्रोत : डीजीसीआईएस

****